



न्यायालय : जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर।

दीवानी प्रकीर्ण वाद संख्या- 43 / 2026

राणा प्रताप चन्द बनाम मिथिलेश चन्द व अन्य।

25.03.2026

अन्तरण प्रार्थना-पत्र की पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

पूर्व तिथि को अन्तरण प्रार्थना-पत्र पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना जा चुका है।

यह अन्तरण प्रार्थना-पत्र आवेदक राणा प्रताप चन्द की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा- 24 के अन्तर्गत मूलवाद संख्या- 932 / 2022, राणा प्रताप चन्द बनाम मिथिलेश चन्द व अन्य की पत्रावली, जो सिविल जज (कनिष्ठ संवर्ग), बाह्य न्यायालय, बॉसगॉव, गोरखपुर के न्यायालय में लम्बित है, को अन्य किसी सक्षम न्यायालय गोरखपुर में अन्तरित किये जाने हेतु संस्थित किया गया है।

अन्तरण प्रार्थना-पत्र 4 ग समर्थित शपथ-पत्र 5 ग में आवेदक द्वारा मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि आवेदक सन् 2013 से हार्ट, मधुमेह, बी0पी0 की असाध्य रोग से ग्रसित चल रहा है। आवेदक के निवास स्थान से न्यायालय की दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण आवेदक ऐसी विकट परिस्थिति के कारण अपने मुकदमे की पैरवी करने में असमर्थ रहता है।

पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी टिप्पणी में यह उल्लिखित किया गया है कि मूलवाद की पत्रावली उनके न्यायालय में लम्बित है।

यह तथ्य निर्विवादित है कि पक्षकारों के मध्य जिस सम्पत्ति के बावत मूलवाद वर्तमान समय में विद्वान सिविल जज (कनिष्ठ संवर्ग), बाह्य न्यायालय बॉसगॉव, गोरखपुर के न्यायालय में लम्बित है, वह भूमि तहसील- बॉसगॉव में ही स्थित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त मूलवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति एवम् उक्त विज्ञप्ति के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.04.2017 के द्वारा बाह्य न्यायालय, बॉसगॉव, गोरखपुर को ही प्राप्त है तथा पीठासीन अधिकारी के न्यायप्रियता के सम्बन्ध में कोई भी विपरीत तथ्य प्रार्थना-पत्र में कथित नहीं किये गये हैं। आवेदक द्वारा स्वयं की बीमारी के आधार पर अन्तरण प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा संस्थित मूलवाद की पैरवी अधिवक्ता के माध्यम से की जा सकती है और आवेदक यदि चाहे तो पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर मामले की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी करवा सकता है। आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में पत्रावलियों के अन्तरण के सम्बन्ध में जो आधार लिये गये हैं, वह अविधिपूर्ण एवम् औचित्यहीन है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवम् परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अन्तरण प्रार्थना-पत्र 4 ग स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

निष्कर्षतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत अन्तरण प्रार्थना-पत्र 4 ग निरस्त किया जाता है।

(राज कुमार सिंह)

जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर।

J.O. Code- UP1889